

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-764/2017/जयपुर

सहायक आयुक्त
वाणिज्यिक कर, वृत्त-पी, जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स श्री शर्मा स्टीलटैक (इण्डिया) प्रा०लि०,
जयपुर

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
राजकीय उप अभिभाषक

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से.

श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 27.03.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 07.12.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त पी, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26, 61(2)(बी) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 30.06.2014 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों में से आईटीसी रिवर्स व ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया एवं आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का मूल कर निर्धारण धारा 23 के तहत दिनांक 08.05.2013 को सम्पूरित किया गया। उक्त आदेश में आईटीसी रूपये 18,83,960/- आगामी वर्ष के लिये अग्रेषित किया गया। तदुपरान्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जमा राशियों का सत्यापन करने पर राशि रूपये 1,18,33,801/- का सत्यापन विभागीय पोर्टल "राजविस्टा" पर नहीं होना पाया, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त आईटीसी को अस्वीकार करने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब नहीं देने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुए कर रूपये 49,17,477/-, ब्याज रूपये 9,83,495/- एवं धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 98,34,954/- आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय





निरन्तर.....2

अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर अपीलीय अधिकारी ने आदेश पारित करते हुए कर व ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण पुनः जांच करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया एवं आरोपित शास्ति अन्तर्गत धारा 61 रुपये 98,34,954/- को अपास्त किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अनुचित बतलाते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल के सर्वेक्षण की जांच पर पाया गया कि प्रत्यर्थी का आईटीसी का मिलान/सत्यापन राजविस्टा सिस्टम पर नहीं हुआ है। उक्त सत्यापन बाबत प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया जो उसके द्वारा घोषित ई-मेल पते पर दिनांक 20.06.2014 को भेजा गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुए जो कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया वह उचित है। अपीलीय अधिकारी ने बिना किसी आधार के प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है एवं धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो कि विधिनुकूल नहीं है, अतः उन्होंने अपीलीय आदेश अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।
4. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये एकतरफा निर्णय पारित किया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है। आदेश में जरिये ईमेल नोटिस जारी किया जाना जाहिर किया गया, जबकि प्रत्यर्थी को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट एवं बिक्री विवरण प्रपत्रों में आलोच्य अवधि में राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये माल पर चुकाये गये वैट रुपये 7,86,33,762 का आईटीसी क्लेम किया गया था। राजविस्टा सिस्टम पर रुपये 49,17,477/- का आईटीसी असत्यापित था जिसके संबंध में परिपत्र क्रमांक एफ. 16(100)टैक्स/सीसीटी/14-15/2787 दिनांक 21.10.2014 की पालना में समस्त खरीद बिल कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन पर कोई विचार नहीं किया गया। रुपये 6,35,399/- का सत्यापन राजविस्टा पर होने के बावजूद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समायोजन प्रदान नहीं किया गया। उक्त सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी कर निर्धारण अधिकारी के परिज्ञान में होने के बावजूद आईटीसी सत्यापित कराये जाने के बजाय आईटीसी रिवर्स कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया जो कि अविधिसम्मत होना बताया। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बनाम मैसर्स कल्पतरू ट्रांसमिशन लि., चित्तौड़गढ़ (2015) 43 टीयूडी 158, (2009) 23 वीएसटी 249 (एससी)

निरन्तर.....3

तथा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लि० के प्रकरण में पारित निर्णय (2012) 32 टीयूडी 03 को उद्धरित करते हुए कथन किया कि उक्त निर्णयों में माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि व्यवहारी की आईटीसी गलत क्लेम करने में करवंचना की मंशा नहीं है या जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया है, तो शास्ति आरोपण किया जाना अविधिक है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अपास्त करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक नोटिस सुनवाई हेतु जारी किया गया जो रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है, लेकिन इसकी तामीली का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यद्यपि आदेश पत्र दिनांक 20.06.2014 में अधिकारी द्वारा यह अंकित किया गया है कि "व्यवहारी के e-mail Address पर नोटिस भेज दिया गया है", परन्तु उक्त e-mail Address या mail sent होने आदि के electronic record की कोई hard copy साक्ष्य हेतु पत्रावली पर विद्यमान नहीं है, अतः नोटिस विधिवत रूप से तामील नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार प्रत्यर्थी को पूर्व में स्वीकृत आईटीसी को रिवर्स किये जाने, ब्याज एवं शास्ति आरोपित किये जाने के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं वैट नियम 48 के प्रतिकूल है।
6. द्वितीयतः इस नोटिस के अवलोकन से प्रकट होता है कि नोटिस धारा 26 of the RVAT Act, 2003 सपठित धारा 9 of CST Act, 1956 के अन्तर्गत दिया गया है। उक्त नोटिस में धारा 61 के अंतर्गत शास्ति आरोपण का कोई उल्लेख ही नहीं है। इस सम्बन्ध में नोटिस में यथालिखित प्रस्तावित कार्यवाही निम्नानुसार है :-

"आपका वर्ष 2011-12 का कर निर्धारण दिनांक 08.05.2013 को पारित किया गया था। जांच पर पाया गया कि रुपये 1,18,33,801.00 का आई टी सी सत्यापन नहीं हुआ है। जिसका समायोजन उक्त आदेश में दे दिया गया था। कारण स्पष्ट करें कि क्यों न उक्त राशि पर अतिरिक्त कर व ब्याज आरोपित किया जावे।"


चूंकि उक्त नोटिस में शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रस्तावित ही नहीं की गई है, इसके उपरान्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण क्यों किया गया, यह समझ से परे है। शास्ति आरोपण से पूर्व पक्षकार को समुचित अवसर दिये जाने के स्पष्ट प्रावधान धारा 65 के अंतर्गत विद्यमान है, जो निम्नानुसार है :-

"65. Opportunity before imposition of penalty - No penalty under this Act shall be imposed unless a reasonable opportunity of being heard is afforded to the dealer or the person concerned."




निरन्तर.....4

7. यही नहीं, अधिकारी ने आदेश दिनांक 30.06.2014 के मुख्य भाग में भी शास्ति आरोपण के कारणों का कोई भी उल्लेख नहीं किया है तथा very casually running one liner में लिखा है कि "रा.मू.प.क.अ. 2003 की धारा 61(2)बी के तहत शास्ति रु. 9834954.00 आरोपित की जाती है।" इससे प्रकट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के आधारभूत सिद्धान्तों तथा धारा 65 के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए शास्ति का आरोपण किया है जो कि पूर्णतः अविधिसम्मत होने से अपास्त योग्य है। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की गई है। यद्यपि अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अन्य आधार पर अपास्त की गई है, परन्तु इसे उपरोक्त विवेचनानुसार आधार पर अपास्त माना जायेगा।
8. जहां तक अपीलीय अधिकारी द्वारा आईटीसी सत्यापन के बिन्दु पर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने का प्रश्न है, तत्संबंधी आदेश उचित पाये जाने के कारण इसकी पुष्टि की जाती है।
9. अतः उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के आलोक में अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, अतः उसकी पुष्टि की जाती है। शास्ति के बिन्दु पर विभाग की अपील उपरोक्त विवेचनानुसार अस्वीकार की जाती है।
10. फलतः प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती हैं।
11. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य



(मदन लाल मालवीय)
सदस्य